मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाषः 0135-2607092

कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की **33 वीं बैठक दिनांक 19.06.2025** को मुख्यालय, **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन** में **अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय।
2. डा0 पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री भास्करानन्द पाण्डे, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री शिवस्वरूप त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, देहरादून।
5. श्री एस0एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
6. डा0 अनीता चमोला, परिवहन विभाग, देहरादून।
7. डा0 बी0के0 शुक्ला, स्वास्थय विभाग, देहरादून।
8. श्री अजय कुमार, नगर निगम, कोटद्वार।
9. श्री गौरव भसीन, उप0न0आ0न0नि0, देहरादून।
10. श्री भानू प्रकाश, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, आई.आई.टी., रूड़की।
11. श्री अशोक बन्सल, अध्यक्ष, के0जी0सी0सी0आई0, विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

एजेन्डा सं0	विवरण	निर्णय
33.1	32 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन व 32वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	1. बोर्ड द्वारा वर्ष 2024–2025 हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष हुए कम व्यय पर निर्देशित किया गया कि भविष्य में बजट इस प्रकार बनाया जाया कि उक्त का यथोचित व्यय सुनिश्चित हो सके। साथ–ही–साथ विभिन्न मदों में

		आवंटित धनराशि के समयबद्ध व्यय हेतु योजना बनायी जाये। 2. बोर्ड द्वारा प्रख्यापित अनुमोदित ईंधन के अन्तर्गत पैट कोक के उपयोग की समय–सीमा को 31.12.2024 से बढ़ाकर अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 31.12.2025 किया गया। 3. बोर्ड हेतु पूर्व में अनुमोदित निर्णय कन्सेलटेन्सी फर्म, ग्रीन स्किल इन्टरनशिप के सम्बनध में आगामी एक माह में कार्यवाही की जाये तथा कार्यालय भवन पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से समन्वय करते हुए भवन ले–ऑउट व भवन लागत के सम्बन्ध में वांछित स्वीकृतियाँ प्राप्त करने की कार्यवाही भी यथाशीघ्र कर ली जायें। 4. स्टोन क्रशर, स्कीनिंग प्लांट/खनन/इन्डक्टशन फर्नेस/रोलिंग मिल इत्यादि के (चाहे विनियोजन कोई भी हो) सहमति प्रकरणों पर निर्णय लेने की शक्तियाँ सदस्य सचिव को प्रतिनिधायन करने के सम्बन्ध में सुविचरित व तथ्यपरक प्रस्ताव अध्यक्ष बोर्ड को प्रेषित् किया जाये।
33.2	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट की स्वीकृति एवं वर्ष 2023–24 की बैलेंश शीट के सम्बन्ध में।	(अ) वित्तीय वर्ष 2023–24 की बैलेंश शीट अनुमोदित की गयी। (ब) वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः– 1. बजट में कार्यालय भवन निर्माण में प्रस्तावित धनराशि को बढ़ाते हुए रु0 7.5 करोड़ किया जाये। 2. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि को आय में प्रदर्शित न किया जाये। उपरोक्त संशोधनों के साथ वर्ष 2025–2026 बजट अनुमोदित किया गया। निर्णय लिया गया कि

		संशोधन के उपरांत अंतिम किये गये बजट को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित् किया जाये।
33.3	बोर्ड के नियमित कार्मिकों को ग्रेच्यूटी की बढ़ी हुई सीमा रू0 25 लाख का लाभ अनुमन्य किये जाने पर बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
33.4	बोर्ड के नियमित कार्मिकों को जुलाई 2024 से बढे हुये महगाई भत्ते की दर (50 प्रतिशत से 53 प्रतिशत) किये जाने पर बोर्ड को अवगत कराये जाने व बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
33.5	भारत सरकार की परियोजना "National Ambient Air Monitoring Programme" में कार्यरत कार्मिकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप वेतन दिये जाने तथा उक्त वेतन पर ईपीफ कटौती हेतु नियोक्ता अंशदान बोर्ड द्वारा वहन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण से बोर्ड को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
33.6	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 12.02.2025 में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उद्योगों के नवीन श्रेणीवार विभाजन को लागू किये जाने हेतु बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
33.7	भारत सरकार द्वारा जल अधिनियम व वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत "Grant, Refusal or Cancellation of Consent Guidelines" से बोर्ड को अवगत कराये जान के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं निर्देशित किया गया कि जिन बिन्दुओं पर उत्तराखण्ड शासन से कार्यवाही अपेक्षित है उनका प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को शीघ्र प्रेषित् किया जाये।

12

33.8	पर्यावरणी क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु मानक प्रचलन पद्धति के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी व निर्देशित किया गया कि उक्त मानक प्रचलन पद्धति की प्रति कुमाऊ गढ़वाल चैम्बरस ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ को उपलब्ध करायी जाये।

अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी। उपरोक्त कार्यवृत्त अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

अनुमोदित

(आर0के0 सुधांशु)
अध्यक्ष

....

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–(33वीं बोर्ड बैठक)/2025/623. **दिनांक** 01/07/2025.

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।

2 प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।

3 प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।

4 प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

5 निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, गौरा देवी पर्यावरण भवन, देहरादून।

6 उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड़, नियर आई0एस0बी0टी0, देहरादून।

8 मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, न्यू रोड़, नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून।

9 अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़, इण्डस्ट्रीयल हाउस, बाजपुर रोड़, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।

10 निदेशक, आई0आई0टी0, रूड़की, हरिद्वार हाईवे, रूड़की, हरिद्वार।

11 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड़, देहरादून।

12 वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।

सदस्य सचिव